

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 तथा दिनांक- 08.08.2019 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र / निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	पृथ्वीराज सिंह सिंहायच व्या. इतिहास	राउमावि सिवास-पाली	19.06.2018 से 23.06.2018	05 दिवस कुल 05 दिवस
2	शिव राज सिंह चारण व्या. इतिहास	राउमावि अर्जुनसर- बीकानेर	09.01.2019 से 18.01.2019 21.01.2019 से 28.01.2019	10 दिवस 08 दिवस कुल 18 दिवस
3	ममता व्या. इतिहास	राउमावि संघर- सूरतगढ़-श्रीगंगानगर	10.01.2019 से 21.01.2019 15.04.2019 से 20.04.2019 23.04.2019 से 04.05.2019	12 दिवस 06 दिवस 12 दिवस कुल 30 दिवस

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक 21/12/2020

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर